सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/नि.क./09/यू..डी.आइ ..डी./2017/546 भोपाल, दिनांक 22-3-17

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश।

विषयः– मध्यप्रदेश के निःशक्तजनों को यूनिवर्सल आई.डी. कार्ड प्रदान करने व नवीन निःशक्तता प्रमाण–पत्र यूडीआईडी के पोर्टल से ही जारी करने के संबंध में।

––0––

विषयान्तर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/ 16–16/2016/डीडी–III दिनांक 13 जनवरी 2017 की प्रति संचालनालय के ज्ञापन क्रमांक/नि.क./09/यूडीआईडी/2017/120 दिनांक 23–01–2017 प्रेषित कर प्रदेश के समस्त निःशक्तजनों को यूनिवर्सल आई.डी. कार्ड जेनरेट व प्रदान करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

2. यूनिवर्सल आई.डी. कार्ड जेनरेट करने हेतु भारत सरकार द्वारा यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) का निर्माण किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य देश के समस्त निःशक्तजनों को यूनिक कार्ड उपलब्ध कराया जाना है, जो पूरे देश में मान्य होगा व किसी भी सरकारी सहायता में सहायक होगा। उक्त कार्ड भविष्य में विभिन्न शासकीय लाभों को प्राप्त करने हेतु निःशक्तजन की पहचान व सत्यापन हेतु एकल दस्तावेज होगा, जिससे निःशक्त व्यक्ति को पृथक–पृथक दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त प्रोजेक्ट का शुंभारभ माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा निकट भविष्य में किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार

द्वारा सम्पूर्ण भारत में 10.00 लाख निःशक्तजनों को यूडीआईडी कार्ड वितरित करने का लक्ष्य अवधारित किया गया है।

3. अतः यूडीआईडी कार्ड के महत्व व समय–सीमा को देखते हुये जेनरेट करने हेतु प्रथमतः यह आवश्यक है कि प्रदेश में निवासरत समस्त निःशक्तजनों की जानकारी यूडीआईडी के पोर्टल पर दर्ज हो। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समग्र स्पर्श पोर्टल पर चिन्हित व सत्यापित 5.00 लाख से अधिक निःशक्तजनों का डेटा भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

4. उक्त डेटा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा यूडीआईडी के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें निःशक्तजन की समग्र आई.डी. व सामान्य जानकारी के साथ–साथ निःशक्तता प्रमाण–पत्र व फोटो जो पूर्व में समग्र स्पर्श पोर्टल पर अपलोड किये गये थे, की जानकारी भी भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। निःशक्तजनों का उक्त डेटा भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही यूडीआईडी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। यूनिक **डिसएबिलीटी आईडी कार्ड** जेनरेट करने व पोर्टल के माध्यम से **नवीन निःशक्तता प्रमाण–पत्र** जारी करने की कार्यवाही जिले के सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाना है। पोर्टल पर कार्य करने हेतु यूजरआईडी ई–मेल आईडी ही रखा गया है अतः ई–मेल की सहायता से पासवर्ड को रिसेट कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(अ) ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण

1. सर्वप्रथम जिलें में वर्तमान में पदस्थ सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज किया जाना होगा। संबंधित सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हस्ताक्षर नाम सहित स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा। उक्त हस्ताक्षर ही यूडीआईडी कार्ड पर प्रिंट होकर आयेगा। हस्ताक्षर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के ही हो। यह सुनिश्चित करना होगा।

2. कोई भी निःशक्तजन **यूनिक डिसएबिलीटी आईडी कार्ड व नवीन निःशक्तता प्रमाण–पत्र** हेतु यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। जिसमें निःशक्त आवेदक द्वारा सामान्य जानकारी, निःशक्तता संबंधी जानकारी, रोजगार संबंधी जानकारी व पहचान संबंधी जानकारी को ऑनलाईन दर्ज करवाया जाता है।

3. यदि निःशक्त व्यक्ति के पास पूर्व से ही निःशक्तता प्रमाण–पत्र है तो उस आवेदक को निःशक्त व्यक्ति का फोटो, निःशक्तता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व निवास का प्रमाण–पत्र को स्केन कर अपलोड करना होता है, जिससे कि वास्तविक व्यक्ति की पहचान संभव हो सके। इस आधार पर केवल यूनिक आईडी कार्ड जेनरेट करने की कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि निःशक्त व्यक्ति के पास निःशक्तता प्रमाण–पत्र नहीं है, तो उस निःशक्त व्यक्ति के प्राप्त आवेदन पर संबंधित निःशक्त व्यक्ति से संपर्क कर उसकी निःशक्तता का परीक्षण करने के उपरांत सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के उपरांत नवीन निःशक्तता प्रमाण–पत्र पोर्टल के माध्यम से ही जारी करने की कार्यवाही संबंधित जिले के सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जाये।

5. प्राप्त आवेदन का परीक्षण करने हेतु 9 अंको की समग्र आईडी प्रत्येक आवेदन में दर्ज/अपडेट की जाये, जिससे कि स्पर्श पोर्टल पर भी जानकारी का सत्यापन संभव हो सके व यूडीआईडी पोर्टल पर सत्यापन उपरांत निःशक्त व्यक्ति को यूनिक आई.डी. कार्ड जेनरेट किया जायेगा। जिसमें संबंधित सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर भी प्रिंट होगा। उक्त यूनिक आई.डी. कार्ड का वितरण योजना के शुभांरभ उपरांत किया जायेगा।

(ब) **भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये डेटा के संबंध में की जाने वाले कार्यवाही**

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समग्र स्पर्श पोर्टल पर चिन्हित व सत्यापित 5.00 लाख से अधिक निःशक्तजनों का डेटा जिसमें समग्र आईडी, निःशक्त व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, निःशक्तता का प्रकार, निःशक्तता का प्रमाण–पत्र की जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध थी वह भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साझा किया गया है। उक्त डेटा भारत सरकार द्वारा यूडीआईडी के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।
2. उक्त डेटा सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यूजर पर उपलब्ध कराया गया है। जिसे लॉगईन उपरांत PwDs Application विकल्प पर उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। Verify PwD Migration Application पर जानकारी को देखकर उसकी प्रोफाइल में जानकारी में संशोधन करने के उपरांत सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। सत्यापन हेतु उक्त डेटा सिविल सर्जन के स्टॉफ के यूजर तथा जिला स्तर पर संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के यूजर पर भी उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त डेटा का सत्यापन दस्तावेज के आधार पर किया जाना है।
3. सत्यापन उपरांत कार्ड जेनरेट करने की कार्यवाही सिविल सर्जन के द्वारा ही की जायेगी। जेनरेंट किये गये कार्ड का वितरण माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा प्रोजेक्ट के शुभारंभ के उपरांत किया जायेगा।

अतः प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समय–सीमा में किया जाना है। इस हेतु पोर्टल पर यूजर मैन्यूअल उपलब्ध कराया गया है जिसकी सहायता से कार्यवाही की जा सकती है। यूनिवर्सल आईडी फार पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु प्रदेश के समस्त जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सिविल सर्जन के अधिकारियों/ कर्मचारियों को 4 जुलाई 2016 से 3 अगस्त 2016 की अवधि में मास्टर

ट्रेनर्स का प्रशिक्षण भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के दल द्वारा प्रदान किया गया है।

उपर्युक्तानुसार प्रदेश के समस्त निःशक्तजनों का पंजीयन यूडीआईडी पोर्टल पर कर उनके यूनिक कार्ड जेनरेट किये जाये। नवीन निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही भी उक्त पोर्टल के माध्यम से ही की जाये जिससे कि एक ही व्यक्ति को बार–बार निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही से बचा जा सकेगा।

21/3/17

(आलोक शर्मा)
उप संचालक एवं
नोडल अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / नि.क. / 09 / यू..डी.आइर्द.डी. / 2017 / 547 भोपाल, दिनांक 22.03.17

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता की ओर सूचनार्थ।
3. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, कक्ष क्रमाक–517 पांचवा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.काम्पलेक्स लोधी रोड़ नई दिल्ली की ओर अर्द्व शासकीय पत्र क्रमांक– 16–16 / 2016 / DD-III दिनांक 13 जनवरी 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/3/17

उप संचालक एवं
नोडल अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश